FORM NO.6

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी जिला करौली

कल्याण प्रसाद बनाम घनश्याम वगैराह

किस्म मुकदमा –दावा बाब्त तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 160/2016

अदालत तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
27.07.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 बाबत् प्रतिवादी सं04 ता 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं रिलीफ को विड्रोल वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 4 ता 6 के मध्य राजीनामा हो चुका है, वादीगण उक्त दावा हाजा में प्रतिवादी सं04 ता 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रतिवादी सं04 ता 6 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रोल की जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री पी0एल0 गोयल ने दौराने बहस अवगत कराया कि वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है साथ ही यह भी निवेदन किया है कि वादीगण का दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है अर्थात बंटवारा के दावे में विवादित आराजीयात के प्रत्येक सहखातेदार दावा हाजा में पक्षकार के रूप में होना अतिआवश्यक है। वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर दावा हाजा में नॉन जोईण्ड ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज होने के कारण वादीगण का दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है इसलिए वादीगण का दावा नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीश का नुक्श होने के कारण एवं कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.70 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामदयाल, घनश्याम पि0 रामोली हि01/2 कल्याण प्रसाद दत्तात्रेय पि0 गिरवरराम हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार हैं। इसके विपरीत वकील प्रति[illegible] की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.70 है0 वाके कस्बा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामदयाल, घनश्याम पि0 रामोली हि01/2 कल्याण प्रसाद दत्तात्रेय पि0 गिरवरराम हि01/[illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4787 निर्णय दिनांक 21.01.2014 से खातेदार घनश्याम पुत्र रामोली हि01/4 के स्थान पर बिजेन्द्र पुत्र यादराम	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

FORM NO.6

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी जिला करौली

कल्याण प्रसाद बनाम घनश्याम वगैरा

किस्म मुकदमा –दावा बाब्त तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 160/2016

अदालत तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाति धाकड हि04/20 व घनश्याम पुत्र रामोली जाति ब्राहम्ण हि0 1/20 स्वीकार है व शेष बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट राजस्व मण्डल अजमेर मुकदमा नं0 2013/47 दिनांक 13.01.2014 द्वारा स्थगन है। फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी घनश्याम पुत्र रामोली ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा रोड हिण्डौन बहक बिजेन्द्रसिंह पुत्र श्री यादराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन के हक में दिनांक 03.01.2014 को आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.70 है0 कस्बा हिण्डौन में से विक्रेता घनश्याम ने अपने हिस्सा 1/4 में से 4/5 भाग की भूमि को क्रेता बिजेन्द्रसिंह के हक में विक्रय कर दिया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा संभला दिया जाना अंकित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं05 बिजेन्द्र हिस्सा 4/20 एवं प्रतिवादी सं01 हिस्सा 1/20 भाग का सहखातेदार काश्तकार हैं। बंटवारा के दावे में प्रत्येक सहखातेदार का पक्षकार होना आवश्यक है, जब वादीगण उक्त प्रकरण में से प्रतिवादी सं04 ता 6 के खिलाफ कार्यवाही विड्रोल ही करा लेंगे तो उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्डरऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज होना साबित है एवं प्रकरण कानूनन मेन्टेनेबिल ही नहीं है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण उक्त बंटवारा के दावे को चलाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार वादीगण का प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी सं0 4 ता 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं रिलीफ को विड्रोल कराने का स्वीकार किया जाकर मूल दावा को कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी सं0 4 ता 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं रिलीफ को विड्रोल कराने का स्वीकार किया जाकर मूल दावा सं0 160/2016 उनवानी कल्याण प्रसाद बनाम [illegible] वगैराह दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज होने एवं कानूनन [illegible] नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। [illegible] फैसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर [illegible]ल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner